न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 146/2017

1. वेदप्रकाश पुत्र देवीलाल 2. रजनी देवी पत्नी वेदप्रकाश	जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. कृपाराम पुत्र देवीलाल 2. जमना देवी पत्नी देवीलाल 3. बनवारीलाल पुत्र देवीलाल	जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।	——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
दिनांक 29.09.2017

उपस्थितः—

श्री राजवीर सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय रेवाड अभिभाषक रेस्पों.सं. 2

श्री जीतपाल सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 3

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्षपेश किया जिसके साथ रा.का. अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे चक 1 आर.बी. के मु.नं. 83 के कि.नं. 3 से 6, 7 से 9, 13 से 17, 25 की 7 बीघा व चक 34 आर.बी. के मु.नं. 23 के कि.नं. 11 से लेकर 15, 17 , 18 की 4.05 बीघा कुल 11.05 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें एवं मौका व

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जबाब पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने दिनांक 29.08.2017 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने विवादित भूमि को काफी मेहनत करके सुधारा है एवं अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से मामला अपने पक्ष में साबित किया था। फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें प्रार्थीगण(अपीलांट) के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाने अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जा अन्य पैरामीटर सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति विवेचित होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह कर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जो तथ्यात्मक रूप से विस्तृत में विवेचित है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 जिसके तहत निर्णय पारित किया है के प्रावधानों Scope एवं Ingridient के सम्बन्ध में विवेचन नहीं किया है। इस धारा में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीन governing principles आज्ञापक है यथा सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया केस व अपरिमित क्षति का विवेचन Mandatory है जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया है। श्रृंखलाबद्ध न्याय सिद्धांतों में यह held हुआ है कि A party who wants a temperory injuction must satisfy all the grounds and not only one or two of them. So Court has to

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

see prima facie case, irreparable injury and Balance of Convinience परन्तु प्रकरण हाजा में उपरोक्तानुसार विवेचन नहीं होने से निर्णय में विधिक नुक्स होकर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.05.2017 को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर